संख्या-51/2017/375/71-1-2017-जी-15/2016

प्रेषक

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 23 मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, आगरा में माइक्रोबायलोजी विभाग में प्रीफैब्रीकेटेड बायोसेफ्टी लेब्रोट्री क्लास (बी0एस0एल0-3) लगाने हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/918, दिनॉक 13-02-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, नजीबाबाद, बिजनौर की स्थापना हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 2,93,09,000/- (रू0 दो करोड़ तिरानबे लाख नौ हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज, आगरा में माइक्रोबायलोजी विभाग में प्रीफैब्रीकेटेड बायोसेफ्टी लेब्रोट्री क्लास (बी0एस0एल0-3) लगाने हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 2,93,09,000/- (रू0 दो करोड़ तिरानबे लाख नौ हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
(2) जिस मद से धनराशि संक्रमित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, उसमें इस वित्तीय वर्ष में पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
(3) महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(4) जिस मद में बचत बताते हुए उससे पुनर्विनियोग प्रस्तवित किया गया है, उसमें पुनर्विनियोग हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।
(5) महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
(6) वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-38-मेडिकल कालेज, आगरा-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-213/दस-2017, दिनॉक 09 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 51/2017/375(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- निदेशक, ग्लोबल कान्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।